निग/3820-III-15

न्यायालय समआदरणीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण कमॉक /2015–16 निगरानी

1.सज्जनबाई विधवा मोहन सिंह आयु 60 वर्ष
2.किशोर सिंह पिता मोहन सिंह आयु 40 वर्ष
3.चन्दर सिंह पिता मोहन सिंह आयु 35 वर्ष
4.राजेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह आयु 30 वर्ष
5.दलपत सिंह पिता मोहन सिंह आयु 25 वर्ष
6.करण सिंह पिता मोहन सिंह आयु 18 वर्ष
7.कारीबाई पिता मोहन सिंह आयु 37 वर्ष
8.समरत बाई पिता मोहन सिंह आयु 32 वर्ष
9.पुष्पाकुँवर पिता मोहन सिंह आयु 22 वर्ष
सभी जाति पारण, निवासीगण हानडी तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर(म.प्र.) .... आवेदकगण

विरूद्ध

1.महेशदान पिता हरदान चारण वयस्क
2.पर्वत सिंह पिता हरदान चारण वयस्क
निवासीगण हानडी तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर(म.प्र.) ....अनावेदकगण

<u>न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, उप खण्ड सीतामऊ के प्रकरण कमॉक 88/अपील/ 2012–2013 में पारित आदेश दिनॉक 23.9.2015 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत।</u>

मान्नीय महोदय,

प्रार्थी आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन निम्नलिखीत प्रस्तुत हैं–

// <u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> //

यह कि, ग्राम हानडी पटवारी हल्का क.20 तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर में एक खाता सहस्वामी महेशदान, मोहन सिंह, पर्वत सिंह पुत्रगण हरदान व सज्जनबाई बेवा हरदान के नाम का होकर कुल किता 3.60 हैक्टर होकर उक्त खाते का बॅटवारा सहखातेदारों के मध्य दिनॉक 2.6.2000 को सहायक बन्दोबस्त अधिकारी दल क.1 सीतामऊ के द्वारा किया गया। उक्त खाते की संशोधित प्रविष्टिया की गई जिसके अनुसार महेशदान को 3.10 हैक्टर भूमि तथा पर्वत सिंह को 1.50 हैक्टर एवं मोहन सिंह एवं सज्जन बाई को भूमि अन्यत्र प्राप्त होने से कोई हिस्सा नहीं दिया तथा भूमि का बॅटवारा किया गया। इस बात की जानकारी न तो मोहन सिंह को और न ही सज्जन बाई को रहीं। तथा फर्जी अंगूठे लगाकर मौजा पटवारी के द्वारा बिना किसी अधिकार के खाते में नाम कम कर दिया इसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई। मोहन सिंह की मृत्यु दिनॉक 2.8.2013 को होने के पश्चात् मोहन सिंह की पत्नी सज्जन बाई व अन्य वारिसान के द्वारा जब खाते में मोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात् नाम दर्ज करवाने दिनॉक 28.8.2014 को गए तथा खाते की नकल मॉगी तो मौजा पटवारी द्वारा बताया गया कि, तुम्हारे पिता/पति

निरंतर .... 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3820–तीन/2015 जिला मन्दसौर

सज्जनबाई आदि विरूद्ध महेशदान आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–12–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अधीनस्थ न्यायालय की आदेश की सत्यापति प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–9–15 के द्वारा आवेदक की अपील में प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन निरस्त किया तथा अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से अपील भी निरस्त की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपीलीय आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं है। आवेदक चाहे तो अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

18 December 2015